राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एंव पंचायतीराज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(3)ग्रावि / नरेगा / बजट घोषणा / 2014 / 57236 जयपुर, दिनांक 2 AUG 2016

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद श्रीगंगानगर।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा पर कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन के अनुबन्ध एवं मानदेय भुगतान के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक ईजीएस / स्था. / 2016–17 / 479 दिनांक 27.05.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के कम में लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा पर कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन के अनुबन्ध एवं मानदेय भुगतान के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही करें :–

1. व्यक्तिगत संविदा पर रखे गये डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के लिए पूर्व में वित्त विभाग द्वारा निर्देशों के तहत निर्धारित प्रपत्र में अनुबन्ध किये हुये थे। पांच वर्ष की सेवा पश्चात् वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 27.06.14 के अनुसार इस कार्यालय के आदेश दिनांक 13.10.2014 के निर्देशों के अनुरूप अनुबन्ध एवं मानदेय वृद्धियां दी जानी है! विभाग के आदेश दिनांक 15.05.2015 के अनुसार आदेश दिनांक 13.10.2014 के बिन्दु संख्या 4 में संशोधन करते हुए महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 5 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत संविदा कार्मिकों को नये अनुबन्ध के तहत 5वें वर्ष में देय पारिश्रमिक पर रखा जायेगा। एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर व्यक्तिगत संविदा कार्मिकों के पारिश्रमिक में 5 प्रतिशत वृद्धि देय है।

2. कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 28.07.2009 एवं तत्पश्चात किये संशोधन एवं दरों में वृद्धि के निर्देशों के अनुरूप रखे जाने है। इनके लिए अधिकतम सीलिंग वर्तमान में वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 01.07.2015 द्वारा निर्धारित है। वित्त विभाग की सीलिंग में कम्प्यूटर का किराया भी शामिल है। योजनान्तर्गत कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन बिना कम्प्यूटर के रखे गये है, कम्प्यूटर संबंधित कार्यालय द्वारा दिया गया है तो ऐसी स्थिति में कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन को जो व्यक्तिगत संविदा पर है, उनको न्यूनतम मजदूरी दिया जाना है। माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में मा0 न्यायालय के निर्णय या प्रकरण की वस्तुस्थिति के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना है।

3. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की पालना आवश्यक है। अतः योजनान्तर्गत कार्यरत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर्स जो व्यक्तिगत संविदा पर कार्यरत है, उनकी श्रेणी के अनुरूप न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिये। ऐजेन्सी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को भी एजेन्सी द्वारा न्यूनतम मजदूरी दिया जाना संबंधित कार्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जावे। ऐजेन्सी को सेवाकर एवं ऐजेन्सी चार्जेज अलग देते हुए ही निविदा आमन्त्रित कर ऐजेन्सी के माध्यम से कार्मिक रखे जावे।

भवदीय,

(शाहीन अली खान)
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान (अलावा श्रीगंगानगर)।
3. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) ईजीएस